

(ख) और (ग) बिहार राज्य वित्तीय निगम (बी०एस०एफ०सी०) जिसने कटिहार जूट मिल की परिसम्पदाओं का अधिग्रहण किया है, उसका पुनरुद्धार करने के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है कटिहार जूट मिल के पुनरुद्धार के पैकेज के लिए सभी संबंधित पक्षकारों की पुनरुद्धार पैकेज में निहित राहत, रियायतें तथा उनसे समय-समय पर अपेक्षित त्याग के लिए सहमति प्राप्त करती होगी। तथापि सरकार ऐसे किसी भी प्रस्ताव का समर्थन करने को तैयार है जो कि कटिहार जूट मिल के पुनरुद्धार के लिए तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य तथा आर्थिक रूप से अर्थक्षम होगा।

कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण

1072. श्री राम सिंह राठवा : क्या बस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण किया गया है, उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) किन-किन मिलों का आधुनिकीकरण किया गया है और किस रूप में ?

बस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) बस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना के अन्तर्गत आई० डी० बी० आई० रुग्ण लेकिन अर्थक्षम एककों के साथ-साथ व्यवस्थित एककों को ऊपस्कर/मशीनों के प्रतिस्थापन/नवीकरण, प्रौद्योगिकी के उन्नयन, उत्पाद क्वालिटी में सुधार तथा निर्यात क्षमता में वृद्धि के जरिए आधुनिकीकरण सहायता प्रदान करता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान आधुनिकीकृत बस्त्र मिलों के नाम सहित उनके राज्य-वार ब्यौरे संलग्न हैं। [दीखिए परिशिष्ट 164, अनुपत्र संख्या 23]

गुजरात में जनता और कन्दूल के कपड़े की बिक्री

1073. श्री राम सिंह राठवा : क्या बस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों से गुजरात में जनता और कन्दूल के कपड़े की बिक्री की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन एजेंसियों के माध्यम से इस प्रकार के कपड़े की बिक्री की जा रही है तथा उनका किस्मवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इनकी बिक्री में बरती जा रही अनियमितताओं की जानकारी है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है ?

बस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय बस्त्र निगम द्वारा उत्पादित कन्दूल साड़ियां, धोतियां, लंबा कपड़ा और पालियेस्टर सूती कपड़ा राष्ट्रीय/राज्य उपभोक्ता सहकारी सघ, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, राष्ट्रीय बस्त्र निगम के खुदरा विक्रय केन्द्र और गुजरात में राष्ट्रीय बस्त्र निगम के प्राधिकृत डीलर द्वारा विक्रय किया जाता है। हथकरघा जनता साड़ियां और धोतियां गुजरात में कार्यान्वयन अधिकरणों के अपने विक्रय केन्द्रों के अनिरिक्त उपभोक्ता सहकारी समितियों और उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित की जाती हैं।

(ग) और (घ) सरकार को गुजरात में जनता और कन्दूल कपड़े की बिक्री में अनियमितताओं के संबंध में कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जनता कपड़ा योजना के कार्यान्वयन की मार्गदर्शिका में 1 जुलाई, 1990 से व्यापक संशोधन किए गए हैं जिसमें वितरण व्यवस्था सहित कई कमियां